



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-18082026-275546
CG-WB-E-18082026-275546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4375]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 4375]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 28 जुलाई, 2026

का.आ. 4555(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, [(रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित)] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, “आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खाना-प्रधानखंडा रूट पर 42 रेलवे फाटकों का उन्मूलन” के निष्पादन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए आवश्यक है, का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा

और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात “आसनसोल मंडल में पूर्व रेलवे एवं डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के खाना-प्रधानखंटा रूट पर 42 रेलवे फाटकों का उन्मूलन” के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम— पूर्व बर्द्धमान

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या (आर.एस.)	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं. 75 IR किमी 121/1-3 पर खाना से गलसी स्टेशन के बीच।						
1	गलसी	किशोरेकोना – 148(आर.एस.)/ 113(एल. आर.)	2179	0.040	0.016	अंश
			2223	0.020	0.008	अंश
			2224	0.140	0.057	अंश
			2225	0.040	0.016	अंश
			2226	0.120	0.049	अंश
			2227	0.125	0.051	अंश
			2228	0.065	0.026	अंश
			2229	0.035	0.014	अंश
			2236	0.435	0.176	अंश
			2238	0.075	0.030	अंश
			2239	0.025	0.010	अंश
			2241	0.020	0.008	अंश
			2242	0.145	0.059	अंश
			2243	0.055	0.022	अंश
			2248	0.090	0.036	अंश
			2249	0.070	0.028	पूर्ण
			2250	0.030	0.012	अंश
			2252	0.050	0.020	अंश
			2262	0.060	0.024	अंश
			2263	0.055	0.022	अंश
			2298	0.145	0.059	अंश
			2299	0.090	0.036	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या (आर.एस.)	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं. 75 IR किमी 121/1-3 पर खाना से गलसी स्टेशन के बीच।						
2	गलसी	किशोरेकोना – 148(आर.एस.)/ 113(एल. आर.)	521	0.030	0.0120	अंश
			527	0.610	0.2470	अंश
			529	0.220	0.0890	अंश
			534	0.115	0.0470	अंश
			548	0.080	0.0320	अंश
			549	0.260	0.1050	अंश
			669	0.060	0.0240	अंश
			681	0.070	0.0280	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या (आर.एस.)	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
			685	0.020	0.0080	अंश
			687	0.120	0.0490	अंश
			693	0.285	0.1150	अंश
			703	0.005	0.0020	अंश
			732	0.540	0.2190	अंश
			834	0.310	0.1250	अंश
			835	0.300	0.1210	अंश
			836	0.145	0.0590	अंश
			837	0.120	0.0490	अंश
			864	0.110	0.0450	अंश
			865	0.335	0.1360	अंश
			866	0.010	0.0040	अंश
			867	0.005	0.0020	अंश
			868	0.245	0.0990	अंश
			869	0.220	0.0890	अंश
			891	0.160	0.0650	अंश
			892	0.135	0.0550	अंश
			702 / 976	0.135	0.0550	अंश
			547 / 993	0.100	0.0400	अंश
			684 / 1007	0.010	0.0040	पूर्ण
			675 / 1019	0.070	0.0280	पूर्ण
			691 / 1008	0.100	0.0400	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या (आर.एस.)	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक/ पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं. 75 IR किमी 121/1-3 पर खाना से गलसी स्टेशन के बीच।						
3	गलसी	खानो – 139(आर. एस.)/ 104(एल. आर.)	9691	0.170	0.0690	अंश

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(Eastern Railway)

NOTIFICATION

Kolkata, the 28th July, 2026

S.O. 4555(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the the Railways Act, 1989, (as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose execution, maintenance and operation of the Special Railway Project namely, “Asansol Division - 42 Nos Elimination of level crossing in ER+DFC route from Khana – Pradhankanta” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the proposed Special Railway Project namely, “Asansol Division - 42 Nos Elimination of level crossing in ER+DFC route from Khana – Pradhankanta” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal.

Name of District- Purba Bardhaman

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No (R.S.)	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO. 75 AT IR KM. 121/1-3 BETWEEN KHANA & GALSI STN.						
1	Galsi	Kishorekona-148(R.S.)/ 113(L.R.)	2179	0.040	0.016	PART
			2223	0.020	0.008	PART
			2224	0.140	0.057	PART
			2225	0.040	0.016	PART
			2226	0.120	0.049	PART
			2227	0.125	0.051	PART
			2228	0.065	0.026	PART
			2229	0.035	0.014	PART
			2236	0.435	0.176	PART
			2238	0.075	0.030	PART
			2239	0.025	0.010	PART
			2241	0.020	0.008	PART
			2242	0.145	0.059	PART
			2243	0.055	0.022	PART
			2248	0.090	0.036	PART
			2249	0.070	0.028	FULL
			2250	0.030	0.012	PART
			2252	0.050	0.020	PART
			2262	0.060	0.024	PART
			2263	0.055	0.022	PART
			2298	0.145	0.059	PART
			2299	0.090	0.036	PART

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No (R.S.)	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO. 75 AT IR KM. 121/1-3 BETWEEN KHANA & GALSI STN.						
2	Galsi	Kishorekona-148(R.S.)/ 113(L.R.)	521	0.030	0.0120	PART
			527	0.610	0.2470	PART
			529	0.220	0.0890	PART
			534	0.115	0.0470	PART
			548	0.080	0.0320	PART
			549	0.260	0.1050	PART
			669	0.060	0.0240	PART
			681	0.070	0.0280	PART
			685	0.020	0.0080	PART
			687	0.120	0.0490	PART
			693	0.285	0.1150	PART
			703	0.005	0.0020	PART
			732	0.540	0.2190	PART
			834	0.310	0.1250	PART

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No (R.S.)	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
			835	0.300	0.1210	PART
			836	0.145	0.0590	PART
			837	0.120	0.0490	PART
			864	0.110	0.0450	PART
			865	0.335	0.1360	PART
			866	0.010	0.0040	PART
			867	0.005	0.0020	PART
			868	0.245	0.0990	PART
			869	0.220	0.0890	PART
			891	0.160	0.0650	PART
			892	0.135	0.0550	PART
			702/976	0.135	0.0550	PART
			547/993	0.100	0.0400	PART
			684/1007	0.010	0.0040	FULL
			675/1019	0.070	0.0280	FULL
			691/1008	0.100	0.0400	PART

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No (R.S.)	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO. 75 AT IR KM. 121/1-3 BETWEEN KHANA & GALSI STN.						
3	Galsi	Khano-139(R.S.)/ 104(L.R.)	9691	0.170	0.069	PART

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL.III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer